न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /34/2024

घनश्याम पुत्र किशोरी जाति माली, निवासी ग्राम खेड़ी देवीसिंह तहसील नदबई
..........अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार तामील जरिये राजकीय अभिभाषक भरतपुर

.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश तहसीलदार नदबई दिनांक 12.8.2024 व मुकदमे राज0 सरकार बनाम घनश्याम ।

_____

उपस्थितः–

1– श्री पुरुषोत्तम मुदगल,अभिभाषक अपीलान्ट,
2– पैरोकार सरकार रेस्पो0

निर्णय दिनांक 12.02.2025

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 बखिलाफ आदेश तहसीलदार नदबई दिनांक 12.8.2024 के पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में अतिक्रमी अपीलान्ट को विवादित आराजी खसरा नम्बर 1734 रकबा 0.06 है0 किस्म गै0मु0 रास्ते से बेदखल करने एवं पैनल्टी कायम कायम किये जाने की आज्ञा दी गई है। अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। तहत पत्रावली नामान्तकरण तलब की गई। तहसीलदार नदबई से प्राप्त तहत पत्रावली नत्थीबद्य की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है। मौके पर कोई क़ब्जा नहीं है। विवादित आराजी अपीलान्ट के खसरा नम्बर 1735 व 1676 से लगा हुआ है। मौके पर कोई रास्ता नहीं है। तहत न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व मौके की कोई पैमाइश नहीं की है केवल कयास के आधार पर अपीलाधीन नोन स्पीकिंग आदेश पारित किया गया है। विवादित आराजी की पैमाईश होना जरुरी है। अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट के पीछे से पारित किया गया है जिसकी जानकारी दिनांक 6.10.2024 को हुई, तहसील से नकल ली लेकर अपील जानकारी दिनांक से अन्दर म्याद पेश की गई है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि अपील की देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने देरी को माफ

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील /35/2024
घनश्याम बनाम राज. सरकार

करते हुये अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

पैरोकार सरकार का कहना है कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ते को जोत कर अपने खेत में मिला कर अतिक्रमण किया है। तहत न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश सही पारित किया है। अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया । तहत पत्रावली का अध्ययन किया गया। तहत पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट पटवारी/गिरदावर से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1734/0.06 गैर मुमकिन रास्ते की जमीन को जोत कर अतिक्रमण किया है। विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है ऐसी भूमियों का ना तो आवंटन किया जा सकता है और नाहीं नियमन, जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय में प्रतिपादित किया है कि :-

L. RS. OF ROOP NARAIN V. STATE OF RAJ. - (186) Revision No. 101/Alwar of 86, decided on 15th June, 1992.

(A) Rajasthan Tenancy Act, Section 16 - Land under gair mumkin Rasta is land held for a public purpose - No khatedari rights can accrue thereon.
(Para 7)
(B) Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Rules 4 & 20 - Land under gair mumkin rasta can neither be regularised nor can khatedari rights accru thereon irrespective of the duration of trespass.
(Para 7)

तहसीलदार नदबई ने अतिक्रमी अपीलान्ट के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली तहसीलदार नदबई को वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर